प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना तथा आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित विभागों के साथ प्रारूप अनुच्छेदों और प्रारूप प्रतिवेदनों के माध्यम से साझा किया गया था। सरकार/विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों को संबंधित अध्यायों में विधिवत शामिल कर लिया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो 2022-23 की अवधि के दौरान सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2022-23 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।